प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश उर्फ बब्लू श्रीवास्तव पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, निवासी जनपद-लखनऊ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-4040/प्रो0अनु0(2)-286/2025 (बैठक दिनांक 21.01.2025), दिनांक 30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश उर्फ बब्लू श्रीवास्तव पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, सी-9/1, लाल कालोनी, निराला नगर थाना-हसनगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सांयकाल लगभग 07.15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल0डी0 अरोडा अपर कस्टम कलक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-01/1995 में भा0द0वि0 की धारा-120 बी/302 में मा0 न्यायालय टाडा एक्ट/सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.01.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 26.12.2024 के अनुसार अपरिहार 29 वर्ष 08 माह 06 दिन तथा 35 वर्ष 01 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 26.12.2024 को बन्दी की आयु 63 वर्ष 02 माह है।

3- पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97 दिनाक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 कि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। (2) बंदी के पुन: अपराध करने की प्रबल सम्भावना है। (3) बंदी पुन: अपराध करने में सशक्त है। (4) बंदी जघन्य अपराध कारित कर सकता है। तद्नुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सांयकाल लगभग 07:15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल०डी० अरोड़ा, अपर कस्टम कलक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं पुलिस उपायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश उर्फ बब्लू श्रीवास्तव पुत्र विश्वनाथ श्रीवास्तव को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश उर्फ बब्लू श्रीवास्तव (बन्दी सं0-45039) पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, निवासी जनपद-लखनऊ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-208/2025/532(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 एवं एस0एल0पी0 अपील (क्रि0) संख्या-6748/2024, ओमप्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव बनाम भारत सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।